उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वांद सं0 41/2009–10

युगल राय .....अपीलकर्ता

बनाम

चिन्तामणी राय .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

17/05/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 41/2009–10 युगल राय बनाम् चिन्तामणी राय एवं अन्य मौजा चिहूटिया अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 257/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2009 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी को मौजा चिहूटिया का प्रधान पद पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत गैंजर प्रधान सोनू राय के भाई के परपोता होने के नाते नियुक्त किया गया है। किन्तु उभय पक्षों को सुनने एवं दाखिल कागजातों यथा पर्चा एवं 'ए' मिसील की प्रधनी नियुक्ति का प्रतिवेदन की सच्ची प्रति की "टंकन" प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के गैंजर प्रधान सोनू राय को प्रधानी पद से बर्खास्त कर गोदो राय को मौजा के प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। गोदो राय अपीलकर्त्ता के परदादा थे। मौजा के जमाबन्दी सं0 04 किस्म रैयत प्रधान का जोत में भी गोदो राय प्रधान वल्द हारू राय दर्ज है।

इस प्रकार अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा का अंतिम गैंजर प्रधान गोदो राय थे जो अपीकर्त्ता के परदादा थे। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के परदादा मौजा के अंतिम प्रधान होने के नाते उनका दावा सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर बनता है किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा बर्खास्त प्रधान सोनू राय के भाई का परपोता उत्तरकारी को धारा 06 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्त्ता को धारा 06 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।